न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—दिव्या RAS

प्रकरण संख्याः—277 / 2020

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 88 आर.टी.ए.

बोड़ सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति जटसिख साकिन डबली कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ

— वादी

बनाम्

1 बुधराम पुत्र अमराराम जाति ओड निवासी डबली मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ
2 गुरचरण सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख साकिन डबली कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ
3 बलकरण सिंह पुत्र जगर सिंह जाति जटसिख साकिन डबली कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ
4 बाधोदेवी पत्नी कृष्ण लाल जाति कुम्हार साकिन डबली मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री महेन्द्र सिंह संधू — अधिवक्ता वादी
2. श्री आकाशदीप सिंह — अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 ता 4

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

—:निर्णयः—

दिनांक 28.3.24

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि चक 10 एसटीजी प.न. 91 / 280 मु.न. 10 किला नं. 25, प.न. 91 / 281 मु.न. 18 किला नं. 5—6, प.न. 92 / 281 मु.न. 19 किला नं. 1, 10 कुल 1.265 है. भूमि में वादी का 0.263 है. प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 0.633 है. व प्रतिवादी सं. 4 का 0.369 है. हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी अनुसार उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है।

यह है कि जमाबंदी में गलती से बुधराम वल्द अमराराम प्रतिवादी सं. 1 के नाम 0.734 है. हिस्सा दर्ज है जबकि प्रतिवादी सं. 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की कुल भूमि 1.265 है. है।

यह है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.734 है. का गलत अंकन होने से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के अधिकारों पर बुरा असर है इसलिए वादी दावा बाबत घोषणात्मक डिक्री इस आशय का लाने का अधिकारी है कि विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 को कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। उसका नाम व हिस्सा जमाबंदी में गलत दर्ज है को हटाया जावें।

यह है कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को कई बार कहा कि वह उक्त भूमि की जमाबंदी में गलती से दर्ज अपना नाम हटवा देवें तो वह कतई इनकार हो गया बस यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:34:56 IST
Reason: SelfAttested

≈ वाद—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता आकाशदीप सिंह ने उपस्थित होकर किया व जवाब दावा पेश नहीं करना चाहा इसलिए जवाब दावा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का बंद करवाया गया। प्रतिवादी सं. 1 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से शपथ पत्र आदेश 18 नियम 3 सीपीसी पेश किया गया जिसमें कि जमाबन्दी में गलती से बुधराम पुत्र अमराराम प्रतिवादी सख्या 1 का 0.734 हिस्सा दर्ज जबकि प्रतिवादी सख्या 1 का उपरोक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है। मिकर व प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 की कुल भूमि 1.265 हिस्सा है। मिकर शपथ पूर्वक कथन करता है कि बुधराम पुत्र आसाराम के नाम 07 बीघा 18 बिस्वा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें से बुधराम द्वारा 05 बीघा आराजी बीघे खोलते हुए बख्तावर सिंह, जगर सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पिसरान मेहर सिंह को जरिये पंजीकृत बैयनामा बैय की गई, जिसका राजस्व रिकार्ड में बीघे खोलते हुए नामान्तरण दर्ज हुआ परन्तु सहवन से उक्त आराजी में बुधराम का नाम दर्ज हो गया तथा 05 बीघा आराजी विक्रय करने उपरान्त बुधराम के नाम जो 02 बीघा 18 बिस्वा आराजी शेष रही, वह बुधराम द्वारा तेजा सिह को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.02.1973 विक्रय की गई है, इसलिए बुधराम के नाम दर्ज 07 बीघा 18 बिस्वा आराजी में बुधराम का कोई हक हिस्सा शेष नही है। समस्त आराजी बुधराम द्वारा विक्रय की जा चुकी है। जमाबन्दी चक नम्बर 10 एसटीजी, खाता सख्या 20/32, सम्वत 2074–2077 प्रदर्श 1, नामान्तरण सख्या 41, चक 10 एसटीजी प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक नम्बर 10 एसटीजी, खाता संख्या 67, सम्वत 2033–2042 प्रदर्श 3, बैयनामा प्रमाणित प्रति चक नम्बर 7 एसटीजी, बुधराम बहक बलदेव सिंह आदि प्रदर्श 4, बैयनामा प्रमाणित प्रति चक नम्बर 7 एसटीजी, बुधराम बहक रूलदू आदि प्रदर्श 5, बैयनामा प्रमाणित प्रति चक नम्बर 10 एसटीजी, बुधराम बहक तेजा सिंह प्रदर्श 6, प्रार्थना पत्र प्रमाणित प्रति फलकशेर आदि प्रदर्श 7, प्रार्थना पत्र प्रमाणित प्रति बख्तावर सिंह प्रदर्श 8, नामान्तरण दिनांक 01.09.1969 चक नम्बर 10 एसटीजी प्रदर्श 9 करवाए गए।

अतएव पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पक्षकारान उभयपक्ष दौराने बहस न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद या विरोधाभास नहीं है इसलिए वादी वाद मुताबिक वाद पत्र के, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

अतः वादी वाद अंतिम डिक्री निम्नानुसार किया जाता है कि:– चक 10 एसटीजी प.न. 91/280 मु.न. 10 किला नं. 25, प.न. 91/281 मु.न. 18 किला नं. 5–6, प.न. 92/281 मु.न. 19 किला नं. 1, 10 कुल 1.265 है. भूमि में वादी 0.263 है. प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 0.633 है. ब.हि.ब प्रतिवादी सं. 4 का 0.369 है. हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 बुधराम ने अपना हक हिस्सा बेचान कर दिया है इसलिए उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर खाता दुरूस्त करने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.3.24 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:34:56 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़